रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19062021-227723
CG-DL-E-19062021-227723

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 338] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 18, 2021/ज्येष्ठ 28, 1943
No. 338] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 18, 2021/JYAISTHA 28, 1943

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2021

सा.का.नि. 422(अ).—केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67), की धारा 13 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज (नीलामी) नियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज (नीलामी) द्वितीय संशोधन नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. खनिज (नीलामी) नियम, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है), में नियम 2 में, उप-नियम (1) में —

(i) खंड (ख) का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (ड) में, उपखंड (ii) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात:-

“परंतु यदि किसी खनिज या खनिज श्रेणी के लिए, भारतीय खान ब्यूरो द्वारा सुसंगत राज्य के संबंध में किसी मास के लिए औसत बिक्री कीमत प्रकाशित नहीं किया गया है, ऐसे खनिज या खनिज श्रेणी के लिए नवीनतम मास में प्रकाशित

औसत बिक्री कीमत को उक्त मास के लिए, जिसके लिए औसत बिक्री कीमत प्रकाशित नहीं किया गया है, औसत बिक्री कीमत माना जाएगा;

परंतु यह और कि यदि किसी खनिज या खनिज श्रेणी के लिए, सुसंगत राज्य के संबंध में औसत बिक्री कीमत पिछले पूरे बारह महीनों की अवधि के लिए प्रकाशित नहीं किया गया है, तब उक्त बारह महीनों के लिए ऐसे खनिज या खनिज श्रेणी के लिए प्रकाशित अखिल भारतीय औसत बिक्री कीमत का उपयोग किया जाएगा:

परंतु यह भी कि खान (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 की अनुसूची-II में यथा विनिर्दिष्ट खनिजों और तत्संबंधी निक्षेपों के लिए समेकित अनुज्ञप्ति के लिए खनिज ब्लॉक की नीलामी के मामले में, 'खनिज संसाधनों की अनुमानित मात्रा' का अनुमान निम्नलिखित रीति से लगाया जाएगा —

(क) ब्लॉक में खनिजीकृत क्षेत्र के खोज के जी-4 चरण के अधीन यथा निर्धारित खनिज संसाधनों की अनुमानित मात्रा को ब्लॉक की 'खनिज संसाधनों की अनुमानित मात्रा' माना जाएगा;

(ख) ऐसे मामले में जहां खंड (क) के अधीन 'खनिज संसाधनों की अनुमानित मात्रा' का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, तब उक्त को निम्नलिखित से गुणा करके प्राप्त किया जाएगा, —

(i) समान भूवैज्ञानिक विशेषताओं वाले और उक्त नियमों के अनुसार जी-3 स्तर तक खोज किए गए खनन पट्टों या खनिज ब्लॉकों के समीप के खनिजीकृत क्षेत्र में उपलब्ध समान खनिज के लिए प्रति हेक्टेयर खनिज संसाधन की अनुमानित मात्रा का औसत; और

(ii) खनिज ब्लॉक का खनिजीकृत क्षेत्र जिसकी नीलामी समेकित अनुज्ञप्ति के लिए की जाएगी।

स्पष्टीकरण — इस खंड के प्रयोजनों के लिए 'निकटवर्ती खनन पट्टे या खनिज ब्लॉक' से उसी जिले में या किसी सन्निकट जिले में अवस्थित खनन पट्टा या खनिज ब्लॉक अभिप्रेत होगा।"।

3. उक्त नियमों में, नियम 6 में, —

(क) उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात: —

"(3) राज्य सरकार नीलामी में कैप्टिव प्रयोजन या किसी विशिष्ट अंतिम उपयोग या आंशिक विशिष्ट अंतिम उपयोग के लिए किसी भी खान को आरक्षित नहीं करेगी";

(ख) उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात: —

"(4) जहां राज्य सरकार ने खनिज (नीलामी) द्वितीय संशोधन नियम, 2021 के आरंभ से पूर्व, किसी खान की नीलामी किसी विशेष विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोग के लिए कैप्टिव खान के रूप में की है, तो वहां यह सुनिश्चित करते हुए एक वित्तीय वर्ष में ऐसी कैप्टिव खान में कुल उत्पादित खनिज का पचास प्रतिशत तक बाजार में बेचा जा सकता है जो ऐसी कैप्टिव खान में कुल उत्पादित खनिज की मात्रा का कम से कम पचास प्रतिशत का प्रयोग वित्त वर्ष के दौरान खान के साथ जुड़े अंतिम उपयोग संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने और इस अधिनियम की छठी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी अतिरिक्त राशि के भुगतान के लिए किया जाएगा।"

4. उक्त नियमों में, नियम 9 में, उप-नियम (5) में निम्नलिखित परंतुकों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात: —

"परंतु बोली सुरक्षा, अनुमानित संसाधनों के मूल्य के 0.25 प्रतिशत के बराबर राशि अथवा पचास करोड़ रूपये, जो भी कम हो, के लिए होगी और बैंक गारंटी के रूप में अथवा सुरक्षा जमा के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी:

परंतु खान (खनिज अंर्तवस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 (उक्त नियमों की अनुसूची II के अधीन आने वाले से भिन्न) की अनुसूची I के भाग 3 के क्रम सं. I, II और III में यथाविनिर्दिष्ट इस प्रकार के निक्षेप वाले खनिज ब्लॉक के

समेकित अनुज्ञप्ति की नीलामी में, जिनकी खनिज संसाधनों की अनुमानित मात्रा का आकलन नियम (2) के उप-नियम (1) के खंड (ड) के अधीन अनुमानित संसाधनों के मूल्य की गणना के लिए संभव नही है, परंतु वर्तमान भूविज्ञान डाटा के आधार पर ब्लॉक की खनन संभावनाओं को चिन्हित किया गया है, बोली सुरक्षा पचास लाख रूपये होगी।"

5. उक्त नियमों में, नियम 9 के पश्चात, निम्नलिखित नियम को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात: —

"9क. केन्द्रीय सरकार द्वारा खनन पट्टे की नीलामी का आयोजन.— (1) राज्य सरकार, खनिज (नीलामी) द्वितीय संशोधन नियम, 2021 के प्रारंभ के पैंतालीस दिनों के भीतर, धारा 8क के अधीन समाप्त हो चुके खनन पट्टों और धारा 10(क) की उप-धारा (2) के अधीन सम्मिलित मामलों सहित, खनन पट्टे की नीलामी के लिए राज्य सरकार के पास उपलब्ध सभी क्षेत्रों या खानों का ब्यौरा, केन्द्रीय सरकार को देगी।

(2) राज्य सरकार, निम्नलिखित के संबंध में केन्द्रीय सरकार को,—

(क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड या किसी अन्य सरकारी या निजी कंपनी से खनन पट्टे की नीलामी के लिए किसी क्षेत्र या खान के संबंध में किसी भी भूवैज्ञानिक रिपोर्ट की प्राप्ति, इसको प्राप्त करने के पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर, और साथ ही ऐसे क्षेत्र की अधिसूचना के लिए एक संभावित अनुसूची तथा धारा 10ख की उप-धाराएं (3) और (4) के अधीन क्रमश: ऐसे क्षेत्र की नीलामी करने संबंधी सूचना सूचित करेगी;

(ख) धारा 10ख की उप-धारा (3) के अधीन, ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन के पंद्रह दिनों के भीतर इसकी प्रति के साथ, अधिसूचना के प्रकाशन को सूचित करेगी;

(ग) नियम 9 के अधीन ऐसी नोटिस जारी करने के पंद्रह दिनों के भीतर इसकी प्रति के साथ, खनन पट्टे की नीलामी के लिए निविदा आमंत्रित करने का नोटिस जारी करके सूचित करेगी;

(घ) नीलामी के पूरा होने के पंद्रह दिनों के भीतर, खनन पट्टे की किसी नीलामी के परिणाम को सूचित करेगी; और

(ङ) ऐसे निलंबन या समापन से पंद्रह दिनों के भीतर, खनन पट्टे के निलंबन या खनन पट्टे के लिए आशय पत्र के समापन को सूचित करेगी।

(3) यदि केन्द्रीय सरकार किसी क्षेत्र को नीलामी के लिए अधिसूचित करने अथवा यथास्थिति, धारा 10ख की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के परंतुक के अधीन खनन पट्टे के लिए नीलामी आयोजित करने का विनिश्चय करती है तो नियम 5 से 9 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित केन्द्रीय सरकार पर भी उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि ये राज्य सरकार पर लागू होते हैं।

(4) नीलामी के सफल समापन पर, केन्द्रीय सरकार नीलामी में अधिमानी बोली लगाने वाले का विवरण राज्य सरकार को सूचित करेगी और राज्य सरकार ऐसे अधिमानी बोली लगाने वाले को नियम 10 के अनुसार ऐसे क्षेत्र के लिए खनन पट्टा प्रदान करेगी।"

6. उक्त नियमों में, नियम 10 में, —

(क) उप-नियम (1) "प्रस्तुत करेगा जो नियम 11 के अनुसार अग्रिम भुगतान का दस प्रतिशत होगी" शब्दों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्: —

"अधिमानी बोली लगाने वाले के रुप में घोषित होने के पश्चात पन्द्रह दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगा जो नियम 11 के अनुसार अग्रिम संदाय का दस प्रतिशत होगी:

परन्तु राज्य सरकार, कारणों को लेखबद्ध करके, पन्द्रह दिनों की अवधि को और पन्द्रह दिनों तक बढ़ा सकती है।";

(ख) उप-नियम (1) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम को अंतःस्थापित कियाजाएगा,अर्थात: —

"(1क) यदि अधिमानी बोली लगाने वाले उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि या विस्तारित अवधि के भीतर अग्रिम राशि की पहली किश्त जमा करने में विफल रहता है, तो राज्य सरकार,-

(क) अधिमानी बोली लगाने वाले की बोली सुरक्षा को जब्त कर लेगी; और

(ख) नीलामी के दूसरे दौर में दूसरा उच्चतम मूल्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले बोलीदाता को उच्चतम अंतिम मूल्य प्रस्ताव को पूरा करने के लिए पेशकश करेगी और यदि उक्त बोलीदाता लिखित रूप में उक्त प्रस्ताव से सहमत हो जाता है और प्रस्ताव प्राप्त होने पर अग्रिम राशि की पहली किश्त पंद्रह दिनों के भीतर जमा कर देता है तो, राज्य सरकार उक्त बोलीदाता को अधिमानी बोली लगाने वाला घोषित करेगी और उप-नियम (2) के अनुसार आशय पत्र जारी करेगी:

परन्तु राज्य सरकार, कारणों को लेखबद्ध करके, इस खंड में निर्दिष्ट पन्द्रह दिनों की अवधि को और पन्द्रह दिनों तक बढ़ा सकती है।";

(ग) उप-नियम (2) में, "अधिमानी बोली लगाने वाले को" शब्दों के पश्चात, "अग्रिम भुगतान की पहली किश्त की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(घ) उप-नियम (3) में खंड (ख) में, शब्दों "दस प्रतिशत होने पर" का लोप किया जाएगा;

(ङ) उप-नियम(5) में,"अस्सी प्रतिशत होना" शब्दों का लोप किया जाएगा।

7. उक्त नियम के नियम 11 में उपनियम (2) में "दस प्रतिशत; दस प्रतिशत; और अस्सी प्रतिशत", शब्दों के स्थान पर "बीस प्रतिशत; बीस प्रतिशत; और साठ प्रतिशत; शब्द रखे जाएंगे।

8. उक्त नियमों में, नियम 17 के बाद, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"17क. केन्द्रीय सरकार द्वारा समेकित अनुज्ञप्ति की नीलामी का आयोजन.— (1) राज्य सरकार, खनिज (नीलामी) द्वितीय संशोधन नियम, 2021 के प्रारंभ के पैंतालीस दिनों के भीतर, धारा 7 के अधीन समाप्त हो चुके पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति तथा धारा 10क की उप-धारा (2) के अधीन सम्मिलित मामलों सहित, समेकित अनुज्ञप्ति की नीलामी के लिए राज्य सरकार के पास उपलब्ध सभी क्षेत्रों या खानों का ब्यौरा केन्द्रीय सरकार को देगी।

(2) राज्य सरकार, निम्नलिखित के संबंध में केन्द्रीय सरकार को,—

(i) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड या किसी अन्य सरकारी या निजी कंपनी से संयुक्त अनुज्ञप्ति की नीलामी के लिए किसी क्षेत्र या खान के संबंध में किसी भी भूवैज्ञानिक रिपोर्ट की प्राप्ति, इसको प्राप्त करने के पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर, और साथ ही ऐसे क्षेत्र की अधिसूचना के लिए एक संभावित अनुसूची तथा धारा 11 की उप-धाराएं (4) और (5) के अधीन क्रमश: ऐसे क्षेत्र की नीलामी करने संबंधी सूचना को सूचित करेगी;

(ii) धारा 11 की उप-धारा (4) के अधीन, ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन के पंद्रह दिनों के भीतर इसकी प्रति के साथ, अधिसूचना के प्रकाशन को सूचित करेगी;

(iii) ऐसे नोटिस को जारी करने के पंद्रह दिनों के भीतर, समेकित अनुज्ञप्ति की नीलामी के लिए इसकी प्रति के साथ निविदा आमंत्रित करने का नोटिस जारी करने की सूचना को सूचित करेगी;

(iv) नीलामी पूरा होने के पंद्रह दिनों के भीतर, संयुक्त अनुज्ञप्ति की किसी नीलामी के परिणाम की सूचना को सूचित करेगी; और

(v) ऐसे निलंबन या समापन से पंद्रह दिनों के भीतर, संयुक्त अनुज्ञप्ति के निलंबन या संयुक्त अनुज्ञप्ति के लिए आशय पत्र के समापन की सूचना को सूचित करेगी।

(3) यदि केन्द्रीय सरकार किसी क्षेत्र को नीलामी के लिए अधिसूचित करने अथवा यथास्थिति, धारा 11 की उप-धारा (4) या उप-धारा (5) के परंतुक के अधीन समेकित अनुज्ञप्ति के लिए नीलामी आयोजित करने का निर्णय लेती है तो नियम 16 और 17 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित केन्द्रीय सरकार पर भी उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि ये राज्य सरकार पर लागू होते हैं।

(4) नीलामी के सफल समापन पर, केन्द्रीय सरकार नीलामी में अधिमानी बोली लगाने वाले का विवरण राज्य सरकार को सूचित करेगी और राज्य सरकार ऐसे अधिमानी बोली लगाने वाले को नियम 18 के अनुसार ऐसे क्षेत्र के लिए समेकित अनुज्ञप्ति प्रदान करेगी।"

9. उक्त नियमों के नियम 18 में,—

(क) उप-नियम (1) में,—

(i) "बोली लगाने वाला" शब्द के पश्चात "अधिमानी बोली लगाने वाले के रूप में घोषित होने के बाद पंद्रह दिनों के भीतर" अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ii) "अधिमानी बोली लगाने वाले को आशय पत्र जारी करेगी" अंत में आने वाले शब्द के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात: —

"अधिमानी बोली लगाने वाले को कार्यपालन प्रतिभूति की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर आशय पत्र जारी करेगी:

परंतु राज्य सरकार, कारणों को लेखबद्ध करके, निष्पादन सुरक्षा जमा करने के लिए पंद्रह दिनों की अवधि को और पंद्रह दिनों तक बढ़ा सकती है। ";

(ख) उप-नियम (1) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात: —

"(1क) यदि अधिमानी बोली लगाने वाला उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि या विस्तारित अवधि के भीतर निष्पादन सुरक्षा जमा करने में विफल रहता है, तो राज्य सरकार —

(क) अधिमानी बोली लगाने वाले की बोली प्रतिभूति को जब्त कर लेगी; और

(ख) नीलामी के दूसरे दौर में दूसरा उच्चतम मूल्य प्रस्ताव करने वाले बोलीदाता को उच्चतम अंतिम मूल्य प्रस्ताव को पूरा करने के लिए पेशकश करेगी और यदि उक्त बोलीदाता लिखित रूप में उक्त प्रस्ताव से सहमत हो जाता है और प्रस्ताव प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर कार्यपालन प्रतिभूति प्रस्तुत कर देता है तो राज्य सरकार उक्त बोलीदाता को "अधिमानी बोली लगाने वाला" घोषित करेगी तथा उप-नियम (2) के अनुसार आशय पत्र जारी करेगी:

परन्तु राज्य सरकार, कारणों को लेखबद्ध करके, पन्द्रह दिनों की अवधि को और पन्द्रह दिनों तक बढ़ा सकती है।";

(ग) उप-नियम (3) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"परंतु आशय पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति पर, समेकित अनुज्ञप्ति का कोई संभावित अनुज्ञप्ति विलेख निष्पादित नहीं किया जाएगा और आशय पत्र को अमान्य कर दिया जाएगा जिससे नीलामी की पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा:

IndiaCode

परंतु राज्य सरकार संभावित अनुज्ञप्ति विलेख के निष्पादन के लिए छह महीने की और अवधि की अनुमति दे सकती है, यदि विलंब होने के कारण, अधिमानी बोली लगाने वाले के नियंत्रण से बाहर थे।"

(घ) उप-नियम (6) में,—

(i) खंड (क) में "धारा 11 की उप-धारा (10), और" शब्द, कोष्ठक और अंक का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (ख) और उसके पश्चात आने वाले परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्: -

(ख) पूर्वेक्षण संक्रियांओ को पूरा करता है और राज्य सरकार को धारा 11 की उप-धारा (10) के अनुसार तैयार की गई भूवैज्ञानिक रिपोर्ट के रूप में पूर्वेक्षण संक्रियांओ के परिणाम प्रस्तुत करता है, जिसके परिणाम स्वरूप खान (खनिज अंर्तवस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 के अनुरूप खनिज तत्वों के साक्ष्य का निर्धारण होता है, नियम 11 में निर्दिष्ट अग्रिम भुगतान की पहली किश्त के साथ खनन पट्टा प्रदान करने के लिए आवश्यक क्षेत्र को विनिर्दिष्ट करता है, तब राज्य सरकार पन्द्रह दिनों की अवधि के भीतर खनन पट्टे के लिए आशय पत्र जारी करेगी:

परंतु किसी भी अतिरिक्त क्षेत्र को समेकित अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा उसका पुनर्ग्रहण पूरा करने के बाद अभ्यर्पण किया गया माना जाएगा:

परंतु यह और कि, खान (खनिज अंर्तवस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 के अनुसार तैयार की गई भूवैज्ञानिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के पश्चात, समेकित अनुज्ञप्ति धारक पूरे क्षेत्र को त्याग सकता है और ऐसे मामले में राज्य सरकार, इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि भूवैज्ञानिक रिपोर्ट उक्त नियम के अनुरूप तैयार की गई है, कार्यपालन प्रतिभूति वापस कर देगी |";

(ङ) उप-नियम (7) का लोप किया जाएगा;

(च) उप-नियम (8) में, खंड (ख) में, "दस प्रतिशत" शब्द के स्थान पर, "बीस प्रतिशत" शब्द रखा जाएगा;

(छ) उप-नियम (9) में, "अस्सी प्रतिशत" शब्द के स्थान पर "साठ प्रतिशत" शब्द रखा जाएगा।

10. उक्त नियमों में, नियम 19 में, —

(क) उप-नियम (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा:—

"परंतु खान, (खनिज अंर्तवस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 (उक्त नियमों की अनुसूची 2 के अधीन सम्मिलित किए गए को छोड़कर), की अनुसूची I के भाग 3 की क्रम संख्या I, II और III में यथाविनिर्दिष्ट इस प्रकार के निक्षेप वाले खनिज ब्लॉक के लिए जिनके खनिज संसाधनों की अनुमानित मात्रा नियम 2 के उप-नियम (1) के खंड (ड) के अधीन अनुमानित संसाधनों के मूल्य की गणना करने के लिए मूल्यांकन करना संभव नहीं है परन्तु जिसके विद्यमान भू-विज्ञान डेटा के आधार पर ब्लॉक की खनन क्षमता की पहचान की गई है, कार्यपालन प्रतिभूति एक करोड़ पचास लाख रुपये होगी।";

(ii) उप-नियम (4) में, —

(i) परंतुक में, "अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (10), और" शब्द, कोष्ठक और अंक का लोप किया जाएगा;

(ii) परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित जाएगा, अर्थात:-

"परंतु यह और कि यदि समेकित अनुज्ञप्ति धारक धारा 11 की उप-धारा (9) के अनुसार संभावित कार्यों को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसके द्वारा प्रदान की गई कार्यपालन प्रतिभूति जब्त कर ली जाएगी।"

IndiaCode

11. उक्त नियमों में, नियम 22 के पश्चात, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

"23. जब किसी अपेक्षा के पूरा होने का दिन एक सार्वजनिक अवकाश है:— इन नियमों के अधीन जब किसी भी कार्य अपेक्षा के पूरा होने का दिन सार्वजनिक अवकाश वाले दिन पड़ रहा है तो इसके पूरा होने का दिन, अगले कार्य दिवस पर माना जाएगा।

स्पष्टीकरण.- अभिव्यक्ति "सार्वजनिक अवकाश" में शनिवार, रविवार और यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया कोई अन्य दिन सम्मिलित है।"

12. उक्त नियमों में, अनुसूची I में,-

(क) पैरा (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे अर्थात: —

"परंतु शुद्ध मूल्य की आवश्यकता दो सौ करोड़ रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।"

(ख) पैरा (2) में, *स्पष्टीकरण* से पहले निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात: —

"परंतु शुद्ध मूल्य की आवश्यकता एक सौ करोड़ रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए:

परंतु यह भी कि खान (खनिज अंर्तवस्तु के साक्ष्य) नियम, 2015 (उक्त नियमों की अनुसूची II के अधीन सम्मिलित किए गए को छोड़कर) की अनुसूची I के भाग 3 के क्रम संख्या I, II और III में यथाविनिर्दिष्ट इस प्रकार के निक्षेप वाले खनिज ब्लॉक के लिए जिनके खनिज संसाधनों की अनुमानित मात्रा का नियम 2 के उप-नियम (1) के खंड (ड) के अधीन अनुमानित संसाधनों के मूल्य की गणना के लिए मूल्यांकन करना संभव नहीं है, परन्तु विद्यमान भू-विज्ञान डाटा के आधार पर ब्लॉक की खनन क्षमता की पहचान की गई हो तो, आवेदक का शुद्ध मूल्य 25 करोड़ रुपए से अधिक या उसके बराबर होनी चाहिए।"

13. उक्त नियमों में, अनुसूची II का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 16/97/2020-M.VI (part)]

डॉ. वीणा कुमारी डरमल, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- खनिज (नीलामी) नियम, 2015, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) अधिसूचना संख्या स.का.नि.406 (अ), तारीख 20 मई, 2015 में प्रकाशित किया गया था और अंतिम रूप से स.का.नि.195(अ), तारीख 17 मार्च, 2021के द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2021

G.S.R. 422(E).— In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral (Auction) Rules, 2015, namely:—

1. (1) These rules may be called the Mineral (Auction) Second Amendment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mineral (Auction) Rules, 2015 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in sub-rule (1), —

(i) clause (b) shall be omitted;

(ii) in clause (m), in sub-clause (ii), for the proviso, the following shall be substituted, namely:—

"Provided that if for any mineral or mineral grade, the average sale price in respect of the relevant State for any month is not published by the Indian Bureau of Mines, the average sale price for the latest month published for such mineral or mineral grade shall be deemed to be the average sale price for the said month for which average sale price is not published:

Provided further that if for any mineral or mineral grade, the average sale price in respect of the relevant State is not published for the entire period of the preceding twelve months, then the all India average sale price published for such mineral or mineral grade for the said twelve months shall be used:

Provided also that in case of auction of mineral block for composite licence for minerals and corresponding deposits as specified in Schedule II of the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015, the 'estimated quantity of mineral resources' shall be arrived in the following manner, namely:—

(a) the estimated quantity of mineral resources as assessed under G4 level of exploration for the mineralised area in the block shall considered the 'estimated quantity of mineral resources' of the block;

(b) in case the estimated quantity of mineral resources is not possible to be assessed under clause (a), then the same shall be arrived at by multiplying—

(i) the average of the estimated quantity of mineral resource per hectare for the same mineral available in the mineralised area of nearby mining leases or mineral blocks having similar geological features and explored upto G3 level in accordance with the said rules; and

(ii) the mineralised area of the mineral block, which is to be auctioned for composite licence.

Explanation.— For the purposes of this clause 'nearby mining leases or mineral blocks' shall mean mining leases or mineral blocks located in the same district or in any adjacent district.".

3. In the said rules, in rule 6,—

(a) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(3) The State Government shall not reserve any mine for captive purpose or any specific end use or partial specific end use in the auction.";

(b) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(4) Where the State Government has auctioned a mine as a captive mine for any particular specified end use before the commencement of the Mineral (Auction) Second Amendment Rules, 2021, up to fifty per cent. of total mineral produced in such captive mine in a financial year may be sold in market while ensuring that not less than fifty per cent. of total mineral produced in such captive mine shall be used during the financial year for meeting the requirement of the end use plant linked with the mine and on payment of such additional amount as specified in the Sixth Schedule to the Act.".

4. In the said rules, in rule 9, in sub-rule (5), the following provisos shall be inserted, namely:—

"Provided that bid security shall be for an amount equivalent to 0.25 per cent. of the value of estimated resources or fifty crore rupees, whichever is lower, and shall be submitted in the form of a bank guarantee or through security deposit:

Provided further that in auction for composite licence for the mineral block having such type of deposit as specified in serial number I, II and III of Part III of Schedule I to the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015 (except those covered under Schedule II of the said rules), whose estimated quantity of mineral resources is not possible to be assessed for calculating the value of estimated resources under clause (m) of sub-rule (1) of rule 2, but the mining potentiality of the block has been identified based on the existing geoscience data, the bid security shall be fifty lakh rupees.".

5. In the said rules, after rule 9, the following rule shall be inserted, namely:—

"**9A. Conduct of auction of mining lease by Central Government.**—(1) The State Government shall intimate to the Central Government the details of all the areas or mines available with the State Government for auction of mining lease, including the mining leases expired under section 8A and cases covered under sub-section (2) of section 10A, within forty-five days of the commencement of the Mineral (Auction) Second Amendment Rules, 2021.

(2) The State Government shall intimate to the Central Government regarding the following namely:—

(a) receipt of any geological report in respect of any area or mine for auction of mining lease from Geological Survey of India, Mineral Exploration Corporation Limited or any other Government or private entity, within a period of forty-five days of receiving it, along with a tentative schedule for

notification of such area and conducting auction of such area under sub-sections (3) and (4) of section 10B, respectively;

(b) publication of notification under sub-section (3) of section 10B along with its copy, within fifteen days of publication of such notification;

(c) issue of notice inviting tender for auction for mining lease under rule 9 along with its copy, within fifteen days of issue of such notice;

(d) outcome of any auction for mining lease, within fifteen days of completion of auction; and

(e) termination of mining lease or lapsing of letter of intent for mining lease, within fifteen days from such termination or lapse.

(3) In case the Central Government decides to notify an area for auction or conduct auction for mining lease under the proviso to sub-section (3) or sub-section (4) of section 10B, as the case may be, the provisions of rules 5 to 9, as applicable to a State Government, shall *mutatis mutandis* be also applicable to the Central Government.

(4) Upon successful completion of the auction, the Central Government shall intimate the details of the preferred bidder in the auction to the State Government and the State Government shall grant mining lease for such area to such preferred bidder in accordance with rule 10.".

6. In the said rules, in rule 10,—

(a) in sub-rule (1), for the words and figures "being ten per cent. of the upfront payment as per rule 11" the following shall be substituted, namely:—

"of the upfront payment as per rule 11 within fifteen days after being declared as preferred bidder:

Provided that the State Government may, for reasons to be recorded in writing extend the period of fifteen days by further fifteen days.";

(b) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely: —

"(1A) In case the preferred bidder fails to submit the first instalment of the upfront amount within the period or extended period specified in sub-rule (1), the State Government shall,—

(a) forfeit the bid security of the preferred bidder; and

(b) offer the bidder who had submitted the second-highest price offer in the second round of auction to meet the highest final price offer and if the said bidder agree to the said offer in writing and submit the first instalment of upfront amount within fifteen days of receipt of offer, the State Government shall declare said bidder as the preferred bidder and issue letter of intent in accordance with sub-rule (2):

Provided that the State Government may, for the reasons to be recorded in writing, extend the period of fifteen days referred to in this clause by further fifteen days.";

(c) in sub-rule (2), after the words "preferred bidder", the words "within fifteen days of receipt of first instalment of upfront payment" shall be inserted;

(d) in sub-rule (3), in clause (b), the words " being ten per cent." shall be omitted;

(e) in sub-rule (5), the words "being eighty per cent." shall be omitted.

7. In the said rules, in rule 11, in sub-rule (2), for the words "ten per cent.; ten per cent.; and eighty per cent.", the words "twenty per cent.; twenty per cent.; and sixty per cent.;" shall be substituted.

8. In the said rules, after rule 17, the following rule shall be inserted, namely:—

"17A. Conduct of auction of composite licence by Central Government.—(1) The State Government shall intimate to the Central Government the details of all the areas or mines available with the State Government for auction of composite licence, including the prospecting licence expired under section 7 and cases covered under sub-section (2) of section 10A, within forty-five days of the commencement of the Mineral (Auction) Second Amendment Rules, 2021.

(2) The State Government shall intimate to the Central Government regarding the following namely:—

(i) receipt of any geological report in respect of any area or mine for auction of composite licence from the Geological Survey of India, Mineral Exploration Corporation Limited or any other Government or private entity, within a period of forth-five days of receiving it, along with a tentative schedule for

notification of such area and conducting auction of such area under sub-sections (4) and (5) of section 11, respectively;

(ii) publication of notification under sub-section (4) of section 11 along with its copy, within fifteendays of publication of such notification;

(iii) issue of notice inviting tender for auction for composite licence along with its copy, within fifteen days of issue of such notice;

(iv) outcome of any auction for composite licence, within fifteen days of completion of auction; and

(v) termination of composite licence or lapsing of letter of intent for composite licence, within fifteen days from such termination or lapse.

(3) In case the Central Government decides to notify an area for auction or conduct auction for composite licence under the proviso to sub-section (4) or sub-section (5) of section 11, as the case may be, the provisions of rules 16 and 17, as applicable to a State Government, shall *mutatis mutandis* be also applicable to the Central Government.

(4) Upon successful completion of the auction, the Central Government shall intimate the details of the preferred bidder in the auction to the State Government and the State Government shall grant composite licence for such area to such preferred bidder in accordance with rule 18.".

9. In the said rules, in rule 18,—

(a) in sub-rule (1),—

(i) after the word and figures "rule 19", the words "within fifteen days after being declared as preferred bidder" shall be inserted;

(ii) for the words "to the preferred bidder" occurring at the end, the following shall be substituted, namely:—

"to the preferred bidder within fifteen days of receipt of performance security:

Provided that the State Government may, for the reasons to be recorded in writing, extend the period of fifteen days for submission of performance security by further fifteen days.";

(b) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely: —

"(1A) In case the preferred bidder fails to submit the performance security within the period or extended period specified in sub-rule (1), the State Government shall,—

(a) forfeit the bid security of the preferred bidder; and

(b) offer the bidder who had submitted second-highest price offer in the second round of auction to meet the highest final price offer and if the said bidder agree to the said offer in writing and submit the performance security within fifteen days of receipt of offer, the State Government shall declare the said bidder as the preferred bidder and issue letter of intent in accordance with sub-rule (2):

Provided that the State Government may, for the reasons to be recorded in writing, extend the period of fifteen days by further fifteen days.".

(c) in sub-rule (3), the following provisos shall be inserted, namely:—

"Provided that on expiry of a period of one year from the date of the letter of intent, no Prospective Licence Deed of Composite Licence shall be executed and the letter of intent shall be invalidated leading to annulment of the entire process of auction:

Provided further that the State Government may allow a further period of six months for execution of the Prospective Licence Deed, if the reasons for delay were beyond the control of the preferred bidder.".

(d) in sub-rule (6),—

(i) in clause (a), the words, brackets and figures "sub-section (10) of section 11, and" shall be omitted;

(ii) for clause (b) and the provisos occurring thereafter, the following shall be substituted, namely:—

"(b) completes prospecting operations and submits to the State Government the result of the prospecting operations in the form of a geological report prepared in accordance with sub-section (10) of section 11 resulting in determination of evidence of mineral contents conforming to the Mineral (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015; specifying the area required for grant of a mining lease, accompanied with the first installment of the upfront payment as specified in rule 11, then the State Government shall issue a letter of intent for mining lease within a period of fifteen days:

Provided that any excess area shall be deemed to be surrendered by the holder of Composite Licence after completing its reclamation:

Provided further that after submission of the geological report prepared in accordance with the Mineral (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015, the holder of composite licence may relinquish the entire area and in such case the State Government shall, after being satisfied that the geological report has been prepared conforming to the said rules, return the performance security.";

(e) sub-rule (7) shall be omitted;

(f) in sub-rule (8), in clause (b), for the words " ten per cent." , the words " twenty per cent. " shall be substituted;

(g) in sub-rule (9), for the words "eighty per cent. " the words " sixty per cent. " shall be substituted.

10. In the said rules, in rule 19,—

(a) in sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that for the mineral block having such type of deposit as specified in serial numbers I, II and III of Part III of Schedule I to the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015 (except those covered under Schedule II of the said rules), whose estimated quantity of mineral resources is not possible to be assessed for calculating the value of estimated resources under clause (m) of sub-rule (1) of rule 2, but the mining potentiality of the block has been identified based on the existing geoscience data, the performance security shall be one crore and fifty lakh rupees.";

(b) in sub-rule (4),—

(i) in the proviso, the words, brackets and figures "sub-section (10) of section 11 of the Act, and" shall be omitted;

(ii) after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that in case the holder of composite licence fails to complete prospecting operations in accordance with sub-section (9) of section 11, the performance security provided by it shall be forfeited.".

11. In the said rules, after rule 22, the following rule shall be inserted, namely:—

'23. When day of completion of any requirement is a public holiday.— When the day of completion of any requirement under these rules is falling due on a public holiday, the day of completion shall be deemed to be due on the next successive working day.

Explanation.— The expression "public holiday" includes Saturday, Sunday and any other day declared to be a public holiday by the Central Government or the State Government, as the case may be.'.

12. In the said rules, in Schedule I,—

(a) in paragraph (1), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that the net worth requirement shall not exceed two hundred crore rupees.";

(b) in paragraph (2), the following provisos shall be inserted before the *Explanation,* namely:—

"Provided that the net worth requirement shall not exceed one hundred crore rupees:

Provided further that for the mineral block having such type of deposit as specified in serial numbers I, II and III of Part III of Schedule I to the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015 (except those covered under Schedule II of the said rules), whose estimated quantity of mineral resources is not possible to be assessed for calculating the value of estimated resources under clause (m) of sub-rule (1) of rule 2, but the mining potentiality of the block has been identified based on the existing geoscience data, the applicant shall have a net worth more than or equal to twenty-five crore rupees.".

13. In the said rules, Schedule II shall be omitted.

[F. No. 16/97/2020-M.VI (part)]

Dr. VEENA KUMARI DERMAL, Jt. Secy.

Note:- The Mineral (Auction) Rules, 2015 were published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i) vide number G.S.R. 406(E), dated the 20th May, 2015 and lastly amended vide number G.S.R. 195(E), dated the 17th March, 2021.

ded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.06.19 16:28:54 +05'30'